न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.

राजस्व वाद–पत्र संख्या 132/2020
वाद–पत्र दायरी दिनांक : 15/12/2020
निर्णय दिनांक : 18/01/2021

1. सुनिल कुमार पुत्र श्री हरिराम जाति जाट निवासी गंगातीखुर्द तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0
2. अमित कुमार पुत्र हरिराम जाति जाट निवासी गंगातीखुर्द तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0
3. गणेशराम चौधरी पुत्र श्री हरिराम जाति जाट निवासी गंगातीखुर्द तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0

—— वादीगण

बनाम

1- हरिराम पुत्र श्रीबक्श जाति जाट निवासी गंगातीखुर्द तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0
2- मैना देवी पुत्री हरिराम पत्नि हितेश चौधरी जाति जाट निवासी गंगातीखुर्द हाल निवासी गणेशपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0
3- संतोष पत्नि हरिराम जाति जाट निवासी गंगातीखुर्द तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0
4- तहसीलदार तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर राज0

—— प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88 व 188 रा0टी0ए0

उपस्थिति – श्री त्रिलोकेश सिंह चौधरी
विद्वान अधिवक्ता वादीगण

श्री रामरतन मीणा
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ल. 3

प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से
पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 18/01/2021

–: निर्णय :–

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद–पत्र बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 170 के आराजी खसरा नम्बर 260/844, 299, 303, 338, 338/847, 374, 556, 585, 704, 803 कुल किता 10 कुल रकबा 10 हैक्टेयर वाके ग्राम गंगातीखुर्द तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में स्थित है जिस पर वादीगण अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है। सिजरा पेश करते हुये अंकित किया कि पक्षकारान एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। हस्तगत प्रकरण में दर्ज विवादित आराजीयात पर वादी संख्या 1 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 3 का 1/4 हिस्सा है तथा इसी अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है चूंकि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने आपसी समझौते से आपस में मिल बैठकर बंटवारा कर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 2 जो प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है एवं वादीगण की सगी बहन है जिसकी शादी, भात, मायरा आदि वादीगण ने ही बराबर बराबर वहन किया था तथा प्रतिवादी संख्या 2 ने अपना हिस्सा वादीगण के व प्रतिवादी संख्या 1 के हक में बराबर बराबर छोड दिया था तथा इसी अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है तथा वादीगण उक्त हस्तगत प्रकरण में दर्ज विवादित आराजीयात में वादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 3 का 1/4 हिस्सा की घोषणा करवाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने के अधिकारी है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है तथा वादीगण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 1956 की धारा 8 के अनुसार प्रथम पे डिक्री के वारिशान उत्तराधिकारी है तथा अपने हिस्से 1/4, 1/4, 1/4, की घोषणा खातेदारी करवाने के उत्तराधिकारी है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 बुजूर्ग व्यक्ति है वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पिता है जो उक्त विवादित आराजीयात को दीगर व्यक्तियों के बहकावे में आकर बैचान करने पर आमादा है जिसका प्रतिवादी संख्या 1 को किसी प्रकार का विधिक अधिकार प्राप्त नही है। इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को जरिये स्थायी निषेधाना से पाबंद किया जाना आवश्यक है। दिनांक 25.10.2020 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ कुछ अजनबी लोगो को विवादग्रस्त आराजीयात पर आये हुये थे जब वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

लोगो के बारे में पुछा तो प्रतिवादी संख्या 1 ने ऐलानिया धमकी दी कि उक्त सम्पूर्ण आराजीयात को बैचान कर कब्जे से बेदखल करूंगा जिस कारण वादीगण को वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है।

वादीगण ने वाद–पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि "वादीगण का वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 घोषणा इस आशय की फरमायी जावे कि वाद पत्र के पैरा संख्या 1 में दर्ज आराजी खाता संख्या 170 के आराजी खसरा नम्बर 260/844, 299, 303, 338, 338/847, 374, 556, 585, 704, 803 कुल किता 10 कुल रकबा 10 हैक्टेयर वाके ग्राम गंगातीखुर्द तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में स्थित भूमि में वादी संख्या 1 को 1/4 हिस्से, वादी संख्या 2 को 1/4 हिस्से, वादी संख्या 3 को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व पालनार्थ तहसीलदार मौजमाबाद को लिखा जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि विवादित आराजीयात वर्णित वाद–पत्र के पैरा संख्या 1 में वादीगण के हिस्से की भूमि में किसी प्रकार की मजाहमत नही करे, रहन, बेय, मुन्तकिल नही करे, बैचान नही करे। डिकी की पालना हेतु तहसीलदारजी मौजमाबाद को लिखा जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गयी।

दिनांक 05/01/2021 को प्रतिवादी संख्या 1 ल. 3 की ओर से श्री रामरतन मीणा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ल. 3 ने राजीनामा पेश किया जो बाद जांच तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 फोरमल पक्षकार हैं। विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान साक्ष्य पेश न कर सीधी बहस करना जाहिर किया।

विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान ने वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा डिकी किये जाने का निवेदन किया।

हमने विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 खाता संख्या 170, नकल नामान्तरकरण एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि वादीगण ने अपने उक्त वाद में पक्षकारान के एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के होना अंकित करते हुये पारिवारिक आपसी समझौते के

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

अनुसार नाम अंकित करवाने हेतु वाद पेश किया हैं। इस सम्बन्ध में पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 आपस में पिता–पुत्र होकर एक ही सयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य होना पाये जाते है चूंकि वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 का जायन्दा पुत्र है इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में वादीगण का जन्मजात हक व हिस्सा बनता है, जिसको प्रतिवादी संख्या 1 ल. 3 राजीनामा पेश कर वादीगण के वाद को स्वीकार किया है एवं मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री किया जाने में किसी प्रकार की आपत्ति नही जाकर अपनी पूर्ण सहमति दी हैं, चूंकि पक्षकारान एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है एवं आपस में पिता–पुत्र है तथा बहिनों ने राजीनामा में अपना हक वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक में हकत्याग कर दिया है, इस प्रकार बरूये दावा वादीगण डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादीगण का वाद बरूये राजीनामा डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 170 के आराजी खसरा नम्बर 260/844, 299, 303, 338, 338/847, 374, 556, 585, 704, 803 कुल किता 10 कुल रकबा 10 हैक्टेयर वाके ग्राम गंगातीखुर्द, तहसील मौजमाबाद का वादी संख्या 1 को 1/5 हिस्से का, वादी संख्या 2 को 1/5 हिस्से का, वादी संख्या 3 को 1/5 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 1 को 1/5 हिस्से का व प्रतिवादी संख्या 3 को 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 18/01/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
दूदू (जयपुर)

राज पंचायत प्रकाशन, जयपुर-3 फोन : 31 ?62

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू मुकाम

व इजलास श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत (R.A.S.)

① सुनील कुमार पुत्र श्री हरिराम जाति जाट ② अमित कुमार ③ गणेशराम नि. गंगातीखुर्द हद मौजमाबाद जिला जयपुर राज. बनाम ① हरिराम पुत्र श्री बक्श ② मैना देवी पुत्री हरिराम ③ संतोष पत्नि हरिराम ④ तहसीलदार मौजमाबाद दावा बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 132/2020 सन्

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अधि. श्री त्रिलोकेश सिंह चौधरी

व हाजिरी .... मिनजानिब मुद्दई रूबरू अधि. श्री रामरतन मीणा

.... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

वादीगण का वाद बरूये राजीनामा डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी खाता सं. 170 के आराजी ख.नं. 260/844, 299, 303, 338, 338/847, 374, 556, 585, 704, 803 कुल किता 10 कुल रकबा 10 हैक्टे; वाकेग्राम ग्रा गंगातीखुर्द; तह. मौजमाबाद का वादी सं. 1 को 1/5 हिस्से का; वादी सं. 2 को 1/5 हिस्से का; वादी सं. 3 को 1/5 हिस्से का एवं

P.T.O.

निज .... मुवलिग .... बाबत ....

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह .... फीसदी ...... आज की तारीख से

तारीख अदायगी तक .... का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18 माह 01 सन् 2021 को जारी की गई।

मुहर (सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू)

दस्तखत [signature]

ओहदा सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजाह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट - इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Acm-दूदू

132/2020

दि. 18/01/2021

डिक्री-पत्र

सुनील वगै. vs हरिराम वगै.

दावा।

प्रतिवादी सं. 1 को 1/5 हिस्से का एवं प्रति.सं. 3 को 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

सहायक कलेक्टर